

नरियात उत्पाद योजना पर शुल्क और करों की छूट

प्रलिस के लयि:

'नरियात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट' (RoDTEP) योजना, 'मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट फ़ॉर्म इंडिया स्कीम' (MEIS) ।

मेंन्स:

नरियात संवर्धन, सरकारी नीतयिँ और हस्तक्षेप

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में सरकार ने ['नरियात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट' \(RoDTEP\) योजना](#) से लौह, इस्पात, रसायन और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों को हटा दया है ।

इन क्षेत्रों को इस योजना से हटा दया गया क्योँकलौह और इस्पात 'पहले से ही उन्नत स्तर पर थे तथा महामारी के दौरान [फार्मा उद्योग](#) में भी वृद्धि हुई थी ।

'नरियात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट' (RoDTEP) योजना:

परचिय

- RoDTEP योजना नरियातकों को ऐसे अंतरनहिति केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्क या करों को वापस कर देगी, जनि पर अब तक या तो छूट नहीं दी जा रही थी या उन्हें वापस नहीं कया जा रहा था, जसिसे भारत के नरियातकों को नुकसान हो रहा था ।
- यह योजना उन करों या शुल्कों पर लागू नहीं होगी, जनि पर पहले ही छूट दी जा चुकी है या जनिहें वापस कया जा चुका है ।

लॉन्च

- इसे जनवरी 2021 में ['मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट फ़ॉर्म इंडिया स्कीम'](#) (MEIS) के प्रतस्थान के रूप में शुरू कया गया था, जो वशिव व्यापार संगठन के नयिमों के अनुरूप नहीं थी ।
 - MEIS योजना के तहत नरियात के 'फ़्रेट ऑन बोर्ड' (FOB) मूल्य पर 2% से 7% का अतरिकित लाभ प्रदान कया जा रहा था ।
- परधान नरियातकों के लयि 'राज्य और केंद्रीय लेवी तथा कर' (RoSCTL) योजना की छूट अलग से अधसिचति की गई है ।

दरें

- वभिनिन क्षेत्रों के लयि कर रफिंड दरें 0.5% से 4.3% तक हैं ।
- यह छूट नरियात के 'फ़्रेट ऑन बोर्ड' मूल्य के प्रतशित के रूप में दी जाएगी ।

नरिगमन

- यह छूट एक 'हस्तांतरणीय शुल्क क्रेडिट/इलेक्ट्रॉनिक स्क्रपि' (ई-स्क्रपि) के रूप में जारी की जाएगी, जसि [केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड](#) (CBIC) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक लेज़र में रकिॉर्ड कया जाएगा ।

महतत्व:

भारत की प्रतसिपर्द्धात्मकता को बढ़ाना:

- वदियुत शुल्क पर कर, परविहन में ईधन पर मूल्यवर्द्धति कर, कृषि क्षेत्र आदि जैसे करों की प्रतपूरत भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाज़ारों में प्रतसिपर्द्धी बनाएगी ।
- अगले 5-10 वर्षों में भारत द्वारा प्रतसिपर्द्धात्मकता, व्यापार प्रवाह और नरियात संख्या को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावति करने की संभावना है ।

अंतर्राष्ट्रीय मानकों की बराबरी:

- भारतीय नरियातक, नरियात के लयि अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में सक्षम होंगे क्योँकल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर नरिभर होने के

बजाय देश के भीतर नरियातकों को सस्ते परीक्षण और प्रमाणन उपलब्ध कराया जाएगा ।

◦ इससे देश के लिये अर्थव्यवस्था और उद्यमों हेतु कार्यशील पूंजी में वृद्धि होगी ।

■ **स्वचालति कर निर्धारण:**

◦ साथ ही इसके तहत नरियातकों के लिये टैक्स असेसमेंट/कर मूल्यांकन पूरी तरह से स्वचालति हो जाएगा । व्यवसायों को एक स्वचालति धन वापसी-मार्ग के माध्यम से **GST (वस्तु और सेवा कर)** के तहत रफिंड तक पहुँच हो जाएगी ।

फ्रेट ऑन बोर्ड:

- इसे फ्री ऑन बोर्ड (FOB) भी कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल यह इंगति करने के लिये किया जाता है **कशिपिगि के दौरान किसी भी वस्तु के क्षतगिरस्त या नष्ट होने पर कौन उत्तरदायी है ।**
 - **"FOB ऑरज़िनि"** का अर्थ है कि खरीदार जोखिम में है और विक्रेता द्वारा उत्पाद को शपि किये जाने के बाद माल पर खरीददार का स्वामतिव होता है ।
 - **"FOB डेस्टनिशन"** का अर्थ है कि जब तक माल खरीदार तक नहीं पहुँचता तब तक किसी भी प्रकार के नुकसान का जोखिम विक्रेता पर बना रहता है ।
- FOB की शर्तें **खरीदार की माल सूची लागत (Inventory Cost)** को प्रभावति करती हैं अर्थात् शपि किये गए माल में देयता को जोड़े जाने से माल सूची लागत बढ़ जाती है तथा शुद्ध आय कम हो जाती है ।

स्रोत: द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/remission-of-duties-and-taxes-on-export-products-scheme>

